Talbros Automotive Components Ltd.
www.talbros.com

8th August, 2025

Listing Department **BSE Limited** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street Mumbai – 400 001 **Scrip Code: 505160**	Listing Department **National Stock Exchange of India Limited** Exchange Plaza, Plot No. C/1 G Block Bandra Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai – 400 051 **Symbol: TALBROAUTO**

Sub: Submission of Newspaper publication of Extract of Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2025

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Part A of Schedule III and Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing copies of Newspaper Publication of Extract of Unaudited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the quarter ended 30th June, 2025 as published in Business Standard (Hindi & English) newspaper on 8th August, 2025.

You are requested to take the above on your records.

Thanking You.

Yours faithfully

For **Talbros Automotive Components Limited**

Seema Narang
Digitally signed by Seema Narang
Date: 2025.08.08 12:36:14 +05'30'

Seema Narang
Company Secretary and Compliance Officer

Talbros Automotive Components Ltd. Faridabad

Encl: as above

refex

Refex Renewables & Infrastructure Limited

Great Place To Work® Certified APR 2025-APR 2026 INDIA

Registered Office: Second Floor, Refex Towers, Sterling Road Signal,
313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam, Chennai – 600 034, Tamil Nadu, India.
Phone: 044-4340 5950 | Website: www.refexrenewables.com | CIN: L40100TN1994PLC028263

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS, BOTH STANDALONE & CONSOLIDATED FOR THE FIRST QUARTER ENDED ON JUNE 30, 2025, OF THE FINANCIAL YEAR 2025-26

Refex Renewables & Infrastructure Limited [Company] hereby informs that the Board of Directors of the Company at its meeting held on Thursday, August 07, 2025, had inter-alia considered and approved the Unaudited Financial Results for the First quarter ended June 30, 2025, of the financial year 2025-26 [Results] both on standalone & consolidated basis, and took on records, the Limited Review Reports thereon, issued by the Statutory Auditors of the Company.

In compliance with Regulation 33 read with Regulation 47 of SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] 2015, the Results are made available through quick response code [QR code] given below and the same also published on the website of the Company [www.refexrenewables.com/investor-relations.php] and BSE Limited [www.bseindia.com].

SCAN ME SCAN ME

Place: Madurai
Date: August 07, 2025

By Order of the Board
For Refex Renewables & Infrastructure Limited
Kalpesh Kumar
Managing Director
DIN: 07966090

www.refexrenewables.com | Refex-Group | refex-group | @GroupRefex | refexgroup

TALBROS AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED

CIN: L29199HR1956PLC033107
Regd. Office: 14/1, Delhi Mathura Road, Faridabad-121003 (Haryana)
Tel No.: 0129-4960482, **Website:** www.talbros.com, **Email:** seema_narang@talbros.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(Rs. in lacs)

Particulars	CONSOLIDATED				STANDALONE			
	Quarter ended			Year ended	Quarter ended			Year ended
	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25	30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25
	Unaudited	Audited (Refer Note 2)	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited (Refer Note 2)	Unaudited	Audited
Total Income from Operations	21,054.41	21,093.72	20,923.62	84,473.03	21,054.41	21,093.72	20,923.62	84,590.83
Profit/(Loss) before exceptional Items and tax	2,794.11	3,359.89	2,641.77	11,943.29	2,394.26	2,826.97	2,337.26	10,287.27
Exceptional items	-	-	-	-	-	-	-	-
Profit/(Loss) before tax	2,794.11	3,359.89	2,641.77	11,943.29	2,394.26	2,826.97	2,337.26	10,287.27
Net Profit/(Loss) after tax	2,219.64	2,658.10	2,061.47	9,443.27	1,819.79	2,125.18	1,756.96	7,787.25
Total Comprehensive income/(loss) for the period (Comprising profit after tax and other comprehensive income after tax)	3,417.71	2,231.97	4,029.54	9,977.75	3,017.14	1,693.26	3,725.93	8,318.83
Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2/- each)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56
Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (for the period - not annualised)								
Basic (Rs.)	3.60	4.31	3.34	15.30	2.95	3.44	2.85	12.62
Diluted (Rs.)	3.60	4.31	3.34	15.30	2.95	3.44	2.85	12.62

Notes:

1 The above is an extract of the detailed format of quarterly and yearly financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of the Stock Exchanges (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on Company's website (www.talbros.com).

2 These standalone and consolidated financial results for the quarter ended on 30 June 2025 have been reviewed and recommended for approval by the Audit Committee and accordingly approved by the Board of Directors of Talbros Automotive Components Limited ("the Company") at their respective meetings held on 07 August 2025. The figures for the quarter ended 31 March 2025 are the balancing figures between the audited figures in respect of full financial year and the published year to date figures upto the third quarter of the relevant financial year, which were subject to limited review. The financials results for the quarter ended 30 June 2025 have undergone "Limited Review" by the Statutory Auditors of the Company. Mr. Anuj Talwar, JMD is duly authorised by Board to sign the financial results for submission to stock exchanges.

For **Talbros Automotive Components Limited**
Sd/-
Anuj Talwar
Joint Managing Director
DIN : 00628063

Date : August 07, 2025
Place : Gurugram

LIC

भारतीय जीवन बीमा निगम
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA

Central Office: "Yogakshema", Jeevan Bima Marg, Nariman Point, Mumbai - 400021
(IRDAI Reg. No. 512 Dated 01.01.2001)

CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2025

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Premium Income (Gross)[1]	119,753.87	148,222.04	114,360.99	490,489.26
2	Net Profit before tax, Exceptional and / or Extraordinary items	10,985.77	19,045.74	10,551.40	48,350.61
3	Net Profit before tax, after Exceptional and / or Extraordinary items	10,985.77	19,045.74	10,551.40	48,350.61
4	Net Profit after tax, Exceptional and / or Extraordinary items	10,957.05	19,038.67	10,544.33	48,320.33
5	Paid-up Equity Share Capital	6,325.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00
6	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	132,156.14	121,193.93	87,150.92	121,193.93
7	Earnings Per Share (Face value of ₹10 each)				
	1. Basic: (in ₹) (not annualised for three months)	17.32	30.10	16.67	76.40
	2. Diluted: (in ₹) (not annualised for three months)	17.32	30.10	16.67	76.40

Key number of Standalone Financial Results for the quarter ended June 30, 2025 are as under:

(₹in Crore)

Sr. No.	Particulars	Three months ended as at			Year Ended as at
		30-Jun-25	31-Mar-25	30-Jun-24	31-Mar-25
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Premium Income (Gross)[1]	119,333.04	147,886.01	113,900.24	488,848.92
2	Profit before tax	11,006.14	19,012.79	10,461.05	48,151.17
3	Profit after tax	10,986.51	19,012.79	10,461.05	48,151.17

Notes:

1. Premium income is gross of reinsurance and net of Goods & Service Tax.
2. The above figures is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites (**www.nseindia.com** and **www.bseindia.com**) and the Corporation's website (**www.licindia.in**). The same can be accessed by scanning the QR code below.
3. The New Indian Accounting Standards (Ind AS) are currently not applicable to insurance industry in India.

For and on behalf of the Board of Directors

DINESH PANT
Managing Director
(DIN: 11134993)

Place:- Mumbai
Date:- 07-08-2025

GAIL (India) Limited

(A Government of India Undertaking)

NOTICE TO SHAREHOLDERS OF GAIL (INDIA) LIMITED

NOTICE is hereby given that the 41st (Forty-First) Annual General Meeting (AGM) of the members of GAIL (India) Limited for FY 2024-25 will be held on Friday, 29th August, 2025 at 11:30 a.m. through Video Conferencing (VC) /Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the business(es) as set out in the Notice of the AGM. In line with the SEBI and MCA Circulars, the Notice of 41st AGM and Annual Report 2024-25 of the Company for the Financial Year 2024-25, has been sent to the Members of the Company through electronic mode whose e-mail ID(s) are registered with the Depository Participant (DP) or R&TA. The same is also hosted on the website(s) of the Company (**www.gailonline.com**), Stock Exchanges i.e. BSE Limited **(www.bseindia.com)**, National Stock Exchange of India Limited **(www.nseindia.com)** and Central Depository Services (India) Limited (CDSL) (agency for providing the Remote e-Voting facility) (**www.evotingindia.com**).

Pursuant to Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations 2015, Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Company is pleased to provide to its members facility to exercise their right to vote on all resolutions set forth in the Notice convening the 41st AGM using electronic voting system ('**Remote e-voting**'). The Company has engaged the services of Depository viz. **Central Depository Services (India) Limited ('CDSL')** to provide the remote e-voting facility. The remote e-voting period commences on **Monday, 25th August, 2025 (9:00 am) (IST) and ends on Thursday, 28th August, 2025 (5:00 pm) (IST).** The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for remote e-voting thereafter and remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time.

A person whose name is registered as a member in the Register of Members or in the Register of Beneficial Owners maintained by the depositories as on **cut-off date** i.e. **Friday, 22nd August, 2025** shall be entitled to avail the facility of a) Remote e-voting; b) Participation at the AGM through VC/OAVM; and c) Vote through e-voting mode available during the AGM.

The members who have casted their vote by remote e-voting mode may also attend the AGM through VC/ OAVM but shall not be entitled to cast their vote during the AGM. Once a vote on a resolution is submitted by the member through remote e-voting or e-voting, the member shall not be allowed to change it. The remote e-voting facility is available to the members as on the cut-off date at **www.evotingindia.com**. Only those members, who would be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the AGM.

Members are requested to refer to instructions for remote e-voting which forms a part of AGM Notice.

If you have any queries or issues regarding attending AGM & e-Voting from the CDSL e-Voting System, you can write an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or contact at toll free no. 1800 21 09911.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Sr. Manager, (CDSL) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai - 400013 or send an email to **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or call toll free no. 1800 21 09911.

If a person is already registered with CDSL/NSDL for e-voting then existing login ID and password to be used for remote e-voting or e-voting. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the Notice has been sent electronically by the Company and holds share(s) as on cut-off date may obtain the login id and password by sending request along with their shareholding details to **shareholders@gail.co.in** or **helpdesk.evoting@cdslindia.com**.

In terms of Regulation 44 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing one-way live webcast of the proceedings of the AGM for the shareholders on **Friday, 29th August, 2025 from 11:30 a.m.** onwards till conclusion of the AGM. You may access the same at GAIL's website (www.gailonline.com).

Further, SEBI vide its circular No. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 dated July 2, 2025 has opened a special window only for re-lodgement of transfer deeds, which were lodged prior to the deadline of April 01, 2019 and rejected/ returned/not attended to due to deficiency in the documents/process/or otherwise, for a period of six months from **7th July, 2025 till 6th January, 2026.** During this period, the securities that are re-lodged for transfer (including those requests that are pending with the listed company / RTA, as on date) shall be issued only in demat mode. Due process shall be followed for such transfer-cum demat requests.

To facilitate the member(s) to register their request/complaint, if any, designated e-mail ID of the R&TA and Company is **admin@mcsregistrars.com** and **shareholders@gail.co.in** respectively.

For GAIL (India) Limited
Sd/-
(Mahesh Kumar Agarwal)
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 08.08.2025
E-mail: shareholders@gail.co.in

Registered Office: 16, Bhikaiji Cama Place, R.K. Puram, New Delhi – 110066
Ph.: 011-26182955, Fax: 011-26185941, (CIN: L40200DL1984GOI018976)

www.gailonline.com #EnergizingPossibilities Follow us on

BS Marketing Initiatives

Institute of Directors *presents*

IOD Institute of Directors — Building® Tomorrow's Boards

2025 ANNUAL
Directors' Conclave

also Felicitation of **IOD Distinguished Fellows**

August 08, 2025
New Delhi (India)

THEME
Shaping Tomorrow's Boards:
The Competitive Edge

CHIEF GUEST	GUEST OF HONOUR	IOD PRESIDENT	IOD CHAIRMAN	IOD VICE-CHAIRMAN	IOD UAE CHAIRMAN	KEYNOTE ADDRESS
Arjun Ram Meghwal Hon'ble Union Minister of State (I/C) for Law & Justice, and Parliamentary Affairs Government of India	Tuhin Kanta Pandey, IAS Chairman Securities & Exchange Board of India (SEBI)	Lt. Gen. Surinder Nath PVSM AVSM (Retd.) former Chairman, UPSC former Vice Chief of Army Staff and former Independent Director, L&T Ltd.	Hon'ble Justice U. U. Lalit former Chief Justice of India	Hon'ble Justice Ritu Raj Awasthi Judicial Member Lokpal of India Former Chairperson Law Commission of India	Dr. Tayeb Kamali Chairman Board of the Trustees Abu Dhabi School of Management UAE	Amitabh Kant, IAS (Retd.) Ex- India's G20 Sherpa & former CEO, NITI Aayog Govt. of India

IOD DISTINGUISHED FELLOWS 2025

Felicitation of **IOD DISTINGUISHED FELLOWS 2025**

- **M. Nagaraju, IAS** — Secretary, Dept. of Financial Services, Ministry of Finance, India
- **Chanchal Kumar, IAS** — Secretary, Ministry of DoNER, Govt. of India
- **Nadir B. Godrej** — Chairman & MD, Godrej Industries Limited
- **Arun Kumar Singh** — Chairman & CEO, ONGC
- **Angelo George** — CEO, Bisleri International

SOME OF THE DISTINGUISHED SPEAKERS

- **Alka Upadhyaya, IAS** — Secretary, Dept. of Animal Husbandry & Dairying, Govt. of India
- **G. Kamala Vardhana Rao, IAS** — Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)
- **Durga Shanker Mishra, IAS (Retd.)** — former Chief Secretary to Government of Uttar Pradesh
- **Mugdha Sinha, IAS** — Managing Director, India Tourism Development Corporation (ITDC)
- **Dr. Meenesh Shah** — Chairman & Managing Director, National Dairy Development Board
- **Vijay Karia** — Chairman & MD, Ravin Group of Companies

- **CA Charanjot Singh Nanda** — President, The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)
- **Dr. Subhransu Sekhar Acharya** — Chairman-cum-MD, National Small Industries Corporation Ltd. (NSIC)
- **Prasanna Mohile** — National Head & Executive Board Member, Pernod Ricard India
- **Vishal Gupta** — Managing Director, Borges India
- **Nitin Sethi** — Chief Executive Officer, Aon Consulting, India & South Asia
- **Shashank Chaudhary, IAS** — Addl. Chief Executive Officer, Invest UP, Govt. of UP

et. al.

PLATINUM PARTNERS: Pernod Ricard India, INVEST UP

GOLD PARTNERS: AON, NERAMAC (North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited), Gujarat Power Corporation Ltd.

BRONZE PARTNERS: Aavas, CWC Logistics Driving Progress, BoardPAC, PATANJALI, NSIC, National Dairy Development Board, Borges

PRINT PARTNER: Business Standard Insight Out

MEDIA PARTNER: REPUBLIC

www.iodglobal.com
e: info@iodglobal.com • m: 84483 86274
t: 011-41636294 / 41636717

INSTITUTE OF DIRECTORS: M-56 A, GK Part-II (M Block Market), New Delhi - 110048, India @Institute of Directors

पंजाब नैशनल बैंक ......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) pnb punjab national bank ...the name you can BANK upon!

दबावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन प्रभाग (एसएएमडी), प्रधान कार्यालय
प्लॉट संख्या 4, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली-110075
ईमेलः HOSASTRAWILFUL@PNB.CO.IN

09.07.2025

प्रधान कार्यालय में 08.07.2025 को आयोजित कार्यवाही में पारित इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति-2 का आदेश।
मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (रु. 33.95 करोड़)
एसएएमबीः दिल्ली, एनपीए की तिथिः 31.03.2015

आरबीआई के मास्टर निर्देश **RBI/DoR/2024-25/122 DoR.FIN.REC.No.31/ 20.16.003/ 2024-25**, 30 जुलाई 2024 के अनुसार, बैंक की इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति की बैठक 21.05.2025 को आयोजित की गई। पहचान समिति ने निष्कर्ष निकाला कि कर्जदार के खाते(खातों) में इरादतन चूक की घटनाएँ घटित हुई हैं और निम्नलिखित व्यक्तियों को इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचानने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने को अपनी स्वीकृति दीः

1. **मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार)** 2. **श्री मोहन लाल जैन (निदेशक)**
3. **श्री मनीष जैन (निदेशक)** 4. **श्रीमती सुमन जैन (निदेशक)**
5. **श्री शिव कुमार कालरा** 6. **श्री संजय कुमार टिक्कू (निदेशक)**
7. **सुश्री वीनू जैन (निदेशक)** 8. **सुश्री चंद्रावती (निदेशक)**

तदनुसार, उपरोक्त कर्जदार अर्थात मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इसके संबंधित पक्षों, जो डिफॉल्ट की घटनाओं में शामिल थे, को 22.05.2025 को 21 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उन्हें सूचित किया गया था कि यदि वे चाहें तो नोटिस प्राप्त होने के 21 दिनों के भीतर बैंक को अभ्यावेदन दे सकते हैं कि उन्हें इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत क्यों न किया जाए। उक्त कारण बताओ नोटिस के जवाब में श्री मनीष जैन (प्रबंध निदेशक) ने 05.06.2025 को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, **श्रीमती सुमन जैन (निदेशक) और श्री संजय कुमार टिक्कू (निदेशक) ने** 06.06.2025 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया **और सुश्री वीनू जैन (निदेशक) ने** 07.06.2025 को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया।
प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, पहचान समिति ने 08.07.2025 को अपनी बैठक में अभ्यावेदन पर विचार-विमर्श किया।

समिति का विचार-विमर्शः

प्रतिनिधि श्री मनीष जैन ने दिनांक 05.06.2025 को अपने अभ्यावेदन में एससीएन में लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया और दावा किया कि एनसीएलटी के समक्ष दावा स्वीकार किए जाने के कारण 07.11.2017 से कंपनी के दस्तावेजों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है और उन्होंने वे सभी दस्तावेज मांगे जिनके आधार पर **फोरेंसिक ऑडिटर मेसर्स ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी** ने ऑडिट रिपोर्ट तैयार की थी।

समिति ने पाया कि **फोरेंसिक ऑडिटर मेसर्स ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी** द्वारा तैयार एफएआर में स्पष्ट रूप से व्यावसायिक लेनदेन को तरजीही लेनदेन और नकली/जाली वैट फॉर्म के उपयोग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट केवल कंपनी से ऑडिटर द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई है। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट की एक प्रति प्रतिनिधि को कारण बताओ नोटिस के साथ पहले ही प्रदान की जा चुकी है जिसके आधार पर इरादतन चूक की प्रक्रिया शुरू की गयी थी।

प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान कंपनी से कोई ऋण नहीं लिया गया था और सभी ऋण कंपनी में उनकी नियुक्ति से पहले लिए गए थे और दावा किया कि व्यक्तिगत दिवालियापन याचिका संख्या 493/पीबी/2022 उनके खिलाफ लंबित है और एनसीएलटी के समक्ष व्यक्तिगत दिवालियापन के लंबित रहने के दौरान, इरादतन चूक की कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है।

समिति ने पाया कि जिन लेन-देन के आधार पर रउठ में आरोप लगाए गए हैं, वे उस अवधि से संबंधित हैं जब श्री मनीष जैन एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक और प्रमोटर थे और इसलिए **प्रतिनिधि** अपने कार्यकाल के दौरान किए गए लेनदेन के लिए अपनी देयता से बच नहीं सकते। इसके अलावा, जहां तक व्यक्तिगत दिवालियापन मामले की चिंता है, प्रतिनिधि ने इरादतन चूक की कार्यवाही पर रोक लगाने वाले सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं दिया है। इसलिए यह तर्क स्वीकार्य नहीं है।

प्रतिनिधि ने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्होंने कई बैंकों से संपर्क किया, हालांकि, टीईवी अध्ययन के कारण जेएलएम द्वारा अतिरिक्त ऋण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, जिसके अनुसार इकाई तकनीकी रूप से व्यवहार्य थी लेकिन आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थी। यह कहा गया कि वर्ष 2013-14 और 2014-15 के लिए अग्रणी बैंक, एसबीआई द्वारा किए गए एसआईए (विशेष जांच लेखा परीक्षा) के अनुसार, निधि का कोई डाइवर्जन नहीं हुआ है।

समिति ने पाया कि जिन लेनदेन के आधार पर एससीएन में आरोप लगाए गए हैं, वे वर्ष 2017 की अवधि से संबंधित हैं जो निधियों के डायवर्जन से संबंधित हैं और तदनुसार प्रतिनिधि 2017 की अवधि से संबंधित एससीएन की सामग्री का जवाब देने में विफल रहा।

प्रतिनिधि का दावा है कि निधियों के डायवर्जन का आरोप गलत है क्योंकि उनकी कंपनी ने मेसर्स रतन प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड, वीआरवी फूड्स लिमिटेड और एनएम इंडस्ट्रीज के साथ एक-दूसरे के खिलाफ देनदारियों को समायोजित करने के लिए उचित रूप से सेटलमेंट समझौता किया था। प्रतिनिधि द्वारा सेटलमेंट समझौते की प्रति संलग्न है।

समिति ने पाया कि फोरेंसिक ऑडिटर ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी ने अपनी रिपोर्ट में तरजीही लेनदेन से संबंधित संभावित गैर-अनुपालन को निम्नानुसार इंगित किया हैः मार्च 2017 में, रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड (लेनदार) और वीआरवी फूड्स लिमिटेड (रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड की एक संबद्ध इकाई) के साथ एक समायोजन किया गया था।

फोरेंसिक ऑडिटर ने कॉर्पोरेट देनदार और रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच 5.54 करोड़ रुपये के एक हस्ताक्षरित सेटलमेंट समझौते का उल्लेख किया। इस समझौते में कहा गया था कि कॉर्पोरेट देनदार को रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड को कुल 9.57 करोड़ रुपये का भुगतान करना था। इसके अलावा, रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और वीआरवी फूड्स लिमिटेड पर एनएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड (कर्जदार कंपनी से संबंधित पक्ष) का कुल 5.54 करोड़ रुपये बकाया था।

5.54 करोड़ रुपये की यह राशि रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के लेनदार शेष से समायोजित की गई थी। यह लेन-देन बैंक खातों के माध्यम से भुगतान किए बिना लेखा पुस्तकों में किया गया था, और लेनदार शेष को प्रतिभूत लेनदारों के बजाय प्राथमिकता दी गई थी।

अगस्त 2017 में, कॉर्पोरेट देनदार द्वारा पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 3703005900000010 से कुल बकाया राशि रु. 4.03 करोड़ का भुगतान किया गया था। इसलिए, रु. 5.54 करोड़ का लेनदेन 'संभावित अधिमान्य लेनदेन और संहिता, 2016 की धारा 43' के अनुसार गैर-अनुपालन प्रतीत होता है।

उपरोक्त सभी लेन-देन धन के संभावित डाइवर्जन का संकेत देते हैं।

प्रतिनिधि ने यह भी प्रस्तुत किया कि 2013-2017 के दौरान, 845.67 करोड़ रुपये की बिक्री की गई और आठ पक्षों से 512.06 करोड़ रुपये वसूले गए। 333.61 करोड़ रुपये के अंतर पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन पूर्व अवधि के बकाया सहित 613.60 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए गए। आगे कहा गया है कि खातों में प्रावधान किए गए थे और बैंकों को बताए गए थे, इसलिए कोई धोखाधड़ी का इरादा नहीं था।

समिति ने पाया कि कंपनी का स्पष्टीकरण 613.60 करोड़ रुपये की अत्यधिक राशि को बट्टे खाते में डालने को उचित नहीं ठहराता, खासकर जब इसमें 2013 से पहले की अवधि के प्राप्य शामिल हैं। केवल सात महीनों (मार्च-अक्टूबर 2017) में इतनी बड़ी राशि को बट्टे खाते में डालना गंभीर चिंता का विषय है। बट्टे खाते में डालने की मात्रा और समय, बैलेंस शीट को साफ करने और धोखाधड़ी की गतिविधियों को छिपाने के इरादतन किए गए प्रयास की ओर इशारा करते हैं। वित्तीय विवरणों में खुलासा धोखाधड़ी के इरादे को खारिज नहीं करता, खासकर जब वे खुलासे अस्तित्वहीन या निष्क्रिय पक्षों के साथ लेनदेन पर आधारित हों।

प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि कंपनी ने दावा किया कि बिक्री खेप के आधार पर की गई थी और वैट विभाग द्वारा जारी फॉर्म-एफ द्वारा समर्थित थी। बिक्री कर विभाग ने मूल्यांकन में इन्हें स्वीकार किया था, इसलिए इन्हें वास्तविक माना जाना चाहिए।

समिति ने पाया कि फोरेंसिक ऑडिट में फॉर्म-एफ दस्तावेजों में कई विसंगतियां सामने आईं, जिनमें बेमेल तिथियां (वैट पंजीकरण से पहले जारी किए गए फॉर्म), सार्वजनिक अवकाश पर जारी किए गए फॉर्म, मैन्युअल रूप से लिखी गई तिथियां और वर्तनी की त्रुटियां शामिल हैं। ऐसी विसंगतियां दर्शाती हैं कि ये फॉर्म या तो गढ़े गए थे या काल्पनिक लेनदेन का समर्थन करने के लिए उनमें हेरफेर किया गया था। नियमित कर मूल्यांकन में इन फॉर्मों को स्वीकार करने से उन दस्तावेजी अनियमितताओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता जो हितधारकों के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के इरादे का संकेत देती हैं।

प्रतिनिधि का दावा है कि कंपनी ने ग्राहकों से बकाया राशि वसूलने के लिए निरंतर प्रयास किए और आपूर्ति के बाद की अवधि में 100 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली करने में भी सफल रही। देनदारों द्वारा बकाया राशि स्वीकार करने और गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के पत्र संलग्न हैं।

समिति ने पाया कि कुछ वसूलियाँ तो हुई होंगी, लेकिन तथ्य यह है कि अधिकांश मामलों में विश्वसनीय वसूली कार्रवाई के बिना ही 613.60 करोड़ रुपये बट्टे खाते में डाल दिए गए। फोरेंसिक ऑडिट ने पुष्टि की कि अधिकांश पक्षों का या तो पता नहीं चल पाया या उन्होंने अपना कामकाज बंद कर दिया था। इसके अलावा, कंपनी द्वारा शुरू की गई कई मध्यस्थता कार्यवाहियाँ उसके विरुद्ध गईं, जिससे उसके दावे और कमजोर हो गए। चुनिंदा वसूली और बकाया राशि वसूलने में व्यापक विफलता से पता चलता है कि कंपनी को वसूली की कोई वास्तविक उम्मीद नहीं थी, जिससे निधि के डाइवर्जन के आरोप को बल मिलता है।

प्रतिनिधि ने भुगतान न करने के कारणों, जैसे गलत/अलग तेलों की आपूर्ति, गुणवत्ता संबंधी समस्याएं, गोदाम में आग, बाजार में गिरावट, आदि की व्याख्या करते हुए पार्टी-वार एक विस्तृत तालिका भी प्रदान की।

समिति ने नोट किया कि ये स्पष्टीकरण कई पक्षों द्वारा दोहराए गए और एक जैसे हैं, जिससे पता चलता है कि ये वास्तविक नहीं हैं, बल्कि भुगतान न करने को उचित ठहराने के लिए गढ़े गए हैं। इसके अलावा, ये बहाने बाद में सामने आए, और उचित विवाद समाधान तंत्र या असंतोषजनक माल की वापसी के साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं। गुणवत्ता संबंधी विवाद उठाने के बाद भी कंपनी ने उन्हीं चूककर्ताओं को नई आपूर्ति जारी रखी, जो उसके वास्तविक व्यापारिक संबंधों के दावे का खंडन करता है।

प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि श्री रजनीश जैन की मृत्यु के बाद, व्यावसायिक संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। आपूर्तिकताओं ने अग्रिम साख पत्र की मांग की, और खरीदारों ने अग्रिम भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस बेमेल ने नकदी प्रवाह को प्रभावित किया और राइट-ऑफ को जन्म दिया।

समिति ने नोट किया कि प्रतिकूल व्यावसायिक परिस्थितियाँ उन लेन-देन के पैटर्न को उचित नहीं ठहराती हैं जिनमें पता न चलने वाली और निष्क्रिय संस्थाओं को क्रेडिट पर माल बेचना, लगातार भुगतान में चूक को नजरअंदाज करना और अनुचित तरीके से बट्टे खाते में डालना शामिल है। कंपनी का आचरण वास्तविक व्यापार के बहाने व्यवस्थित रूप से निधि के डाइवर्जन को दर्शाता है। आठ संस्थाओं यानी प्रिया सेल्स कॉर्पोरेशन, गोयल एंटरप्राइजेज, नारायण ट्रेडिंग कंपनी, जय अंबे ट्रेडिंग कंपनी, एस.एम. एग्रो, पारस इंटरनेशनल, भोले नाथ ट्रेडिंग कंपनी, एच.जी. एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड के साथ चल रहे संबंध, स्पष्ट जोखिम के बावजूद, लापरवाही और इरादतन चूक को दर्शाते हैं।

प्रतिनिधि ने दलील दी कि कंपनी का दावा है कि उसने वित्त वर्ष 2015-16 में 142.52 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2016-17 में 211.60 करोड़ रुपये के डूबत ऋणों के लिए प्रावधान किया था, और वित्त वर्ष 2016-17 में 259.06 करोड़ रुपये का और डूबत ऋण दर्ज किया गया था। इसका खुलासा लेखापरीक्षित विवरणों में किया गया है।

समिति ने कहा कि प्रावधान और लेखापरीक्षित खुलासे कंपनी को उस स्थिति में ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं करते जब अंतर्निहित लेनदेन धोखाधड़ी वाले हों। फोरेंसिक ऑडिट से स्पष्ट रूप से पता चला कि संबंधित पक्षों में विश्वसनीयता की कमी थी, दस्तावेज या तो जाली थे या गायब थे, और इनमें से अधिकांश संस्थाओं का कोई सक्रिय संचालन नहीं था। काल्पनिक प्राप्तियों और उन पर आधारित प्रावधानों का खुलासा पारदर्शी वित्तीय आचरण नहीं माना जा सकता।

प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया कि कंपनी बाजार-संचालित विवादों और गुणवत्ता/समाप्ति संबंधी मुद्दों के कारण ग्राहकों द्वारा भुगतान करने की अनिच्छा का हवाला दे रही है। उनका दावा है कि खरीदारों ने भुगतान रोकने की धमकी दी थी और उत्पाद की शेल्फ लाइफ के कारण वसूली असंभव थी।

समिति ने पाया कि बार-बार दिए गए इन बहानों का सत्यापन योग्य कोई प्रमाण नहीं है। कंपनी के पक्ष में कोई विश्वसनीय विवाद समाधान, मध्यस्थता, या विवादित स्टॉक की वापसी नहीं दिखाई गई है। इसके बजाय, लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस बात की पुष्टि करते हैं कि कंपनी प्रतिपक्षकारों के साथ व्यवहार करते समय बुनियादी सावधानी बरतने में विफल रही और बिना किसी प्रभावी नियंत्रण या वसूली उपायों के, प्राप्य खातों को कृत्रिम रूप से बढ़ने दिया।

प्रतिनिधि ने यह भी प्रस्तुत किया कि पक्षों ने बकाया राशि स्वीकार की और पत्राचार लेखा परीक्षकों के साथ साझा किया गया। अनुवर्ती कार्रवाई और आंशिक वसूली हुई।

समिति ने पाया कि फोरेंसिक ऑडिट से पुष्टि हुई कि ज्यादातर पक्ष दर्ज पतों पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने अपने टीआईएन रद्द कर दिए थे, और एक-दूसरे से संबंधित या परिचित थे, जिससे एक चक्रीय व्यवस्था का संकेत मिलता है। ये पत्राचार सामान्य थे और लेन-देन की वैधता को प्रमाणित करने या यह साबित करने के लिए अपर्याप्त थे कि प्राप्य वास्तव में प्रवर्तनीय थे।

प्रतिनिधि ने आगे कहा कि कंपनी का कहना है कि 613.60 करोड़ रुपये की राशि को बट्टे खाते में डालना सामान्य व्यावसायिक प्रक्रिया में किया गया था और बाजार की वास्तविकताओं के कारण यह अपरिहार्य था।

समिति ने पाया कि अल्पावधि में केंद्रित बट्टे खाते में डालने का पैमाना, पैटर्न और तरीका, जिसमें अस्तित्वहीन या बंद हो चुकी संस्थाएँ और विश्वसनीय कानूनी या व्यावसायिक कार्रवाई का अभाव है, बैंक निधियों के इरादतन डाइवर्जन की ओर इशारा करता है। इन्हें सामान्य व्यावसायिक जोखिम या बाजार की घटना के रूप में उचित नहीं ठहराया जा सकता।

प्रतिनिधि ने आगे कहा कि कंपनी मध्यस्थता कार्यवाही का हवाला देती है, जिनमें से अधिकांश प्रतिकूल रूप से समाप्त हुईं। कानूनी सलाह ने पुरस्कारों को चुनौती देने की कोई गुंजाइश नहीं सुझाई।

समिति ने पाया कि प्रतिकूल मध्यस्थता परिणाम और आगे कानूनी कार्रवाई का अभाव यह दर्शाता है कि कंपनी के पास या तो मजबूत दावे नहीं थे या उसने इरादतन अज्ञात/मृत संस्थाओं के साथ लेन-देन किया। यह फिर से इस दृष्टिकोण को पुष्ट करता है कि लेन-देन सद्भावना से नहीं किए गए थे, बल्कि उनका उद्देश्य प्राप्तियों को कृत्रिम रूप से बढ़ाना और निधि का डाइवर्जन करना था।

प्रतिनिधि ने कहा कि प्रिया सेल्स कॉर्पोरेशन, जिसका नाम अब तिरुपति इम्पेक्स है, के साथ लेन-देन की अंतिम तिथि के बाद भी बिक्री लेनदेन जारी रहा।

समिति ने पाया कि यह इरादतन अलग-अलग नामों से संबंधों को स्तरीकृत और जारी रखने को दर्शाता है। फोरेंसिक ऑडिट में दोनों संस्थाओं के लिए समान टिन (टिन) पाया गया। इस तरह की गतिविधियाँ सामान्य व्यावसायिक निरंतरता को नहीं, बल्कि हेरफेर और छिपाने को दर्शाती हैं।

प्रतिनिधि ने कहा कि फॉर्म-एफ और वैट दस्तावेज कथित तौर पर स्कैन किए गए थे और समय बीतने के कारण अपठनीय थे।

समिति ने नोट किया कि फोरेंसिक ऑडिट में स्पष्ट रूप से दर्ज किया गया है कि कई दस्तावेज संदिग्ध, पिछली तारीख के, या छुट्टियों पर जारी किए गए थे। कंपनी द्वारा मूल या वैध बैकअप प्रस्तुत न करना इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है कि दस्तावेज फर्जी बिक्री को छिपाने के लिए गढ़े गए थे।

प्रतिनिधि ने कहा कि लॉरी रसीदों के सीरियल नंबर तारीखों से मेल नहीं खाते। इसका कारण ट्रांसपोर्टरों द्वारा एक साथ इस्तेमाल की जाने वाली उद्योग पद्धति को बताया गया।

समिति ने नोट किया कि यह स्पष्टीकरण तब लागू नहीं होता जब 18 अलग-अलग लेन-देन में यह विसंगति दिखाई देती है। यह पैटर्न पिछली तारीख या गैर-मौजूद लॉजिस्टिक्स की ओर इशारा करता है, जिससे लेन-देन की विश्वसनीयता और कम होती है।

प्रतिनिधि श्रीमती सुमन जैन ने 06.06.2025 को अपने अभ्यावेदन में प्रस्तुत किया कि वह केवल 29 सितंबर, 2012 तक कंपनी की निदेशक थीं और कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई सहभागी भूमिका नहीं थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने वर्ष 2012 में इस्तीफा दे दिया था और उन्हें कथित इरादतन चूककर्ता नहीं माना जा सकता क्योंकि एससीएन में उल्लिखित लेनदेन उनके निदेशक पद से इस्तीफा देने के बाद की अवधि से संबंधित है।

उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर, उनके विरुद्ध व्यक्तिगत दिवालियापन कार्यवाही सीपी (आईबी) संख्या 495/2022 लंबित है। उन्होंने लेन-देन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी चुनौती दी और कहा कि वह कभी भी कंपनी के संचालन में शामिल नहीं रहीं और उन्होंने 29 सितंबर, 2012 को इस्तीफा दे दिया था।

समिति ने नोट किया कि यह रिकॉर्ड का विषय है कि एफएआर दिनांक - 16.07.2018 और पूरक एफएआर दिनांक - 05.02.2019 के आधार पर, वर्ष 2017 से संबंधित लेनदेन के संबंध में 'निधियों की साइफनिंग और निधियों के डायवर्जन' के आरोपों के साथ एससीएन दिनांक - 22.05.2025 जारी किया गया था।

समिति ने यह भी नोट किया है कि श्रीमती सुमन जैन द्वारा प्रस्तुत फॉर्म 32 के अनुसार, यह रिकॉर्ड का विषय है कि उन्होंने 29.09.2012 और वर्ष 2012 के बाद कंपनी से इस्तीफा दे दिया था। इसलिए, उपलब्ध दस्तावेजों और गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशक के रूप में उनके पदनाम के आधार पर, समिति का विचार था कि श्रीमती सुमन जैन का नाम चल रही इरादतन चूककर्ता पहचान प्रक्रिया से बाहर रखा जाए, क्योंकि चूक के समय कंपनी के व्यवसाय के प्रबंधन में उनकी सक्रिय भूमिका स्थापित करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है।

प्रतिनिधि श्री संजय कुमार टिक्कू ने दिनांक 06.06.2025 को अपने अभ्यावेदन में प्रस्तुत किया कि वह 6 जुलाई 2015 तक ही कंपनी के स्वतंत्र निदेशक थे और कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई सहभागी भूमिका नहीं थी।

उन्होंने लेन-देन लेखा परीक्षा रिपोर्ट को भी चुनौती दी और कहा कि वह कभी भी कंपनी के संचालन में शामिल नहीं थे और उन्होंने 6 जुलाई 2015 को इस्तीफा दे दिया था।

समिति ने पाया कि फॉर्म संख्या डीआईआर-32 के माध्यम से यह स्थापित होता है कि श्री संजय कुमार टिक्कू स्वतंत्र निदेशक की हैसियत से एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़े हैं और नीति के अनुसार, पूर्णकालिक निदेशक के अलावा किसी अन्य निदेशक, जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक भी शामिल है, को इरादतन चूककर्ता नहीं माना जाएगा।

समिति ने यह भी पाया कि जारी किए गए एससीएन के अनुसार, निधियों के डायवर्जन और साइफनिंग के आरोप 01 अप्रैल 2015 से नवंबर 2017 तक की अवधि से संबंधित हैं और श्री संजय कुमार टिक्कू ने 2015 में अपना इस्तीफा दे दिया था, तदनुसार उपरोक्त समिति का विचार था कि उनके खिलाफ निधियों के डायवर्जन और साइफनिंग के आरोपों को हटा दिया जाए।

प्रतिनिधि श्रीमती वीनू जैन ने दिनांक 07.06.2025 को अपने अभ्यावेदन में प्रस्तुत किया कि वे 11 जुलाई 2015 तक ही कंपनी की स्वतंत्र निदेशक थीं और कंपनी के प्रबंधन में उनकी कोई सहभागी भूमिका नहीं थी। प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने वर्ष 2015 में इस्तीफा दे दिया था और उन्हें कथित इरादतन चूककर्ता नहीं माना जा सकता क्योंकि एससीएन में उल्लिखित लेनदेन उनके निदेशक पद से इस्तीफा देने के बाद की अवधि से संबंधित है।

पहचान समिति ने नोट किया कि डीआईआर-12, कंपनी संकल्प और नियुक्ति सहित विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से यह स्थापित किया गया है कि श्रीमती वीनू जैन स्वतंत्र निदेशक की क्षमता में एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड से जुड़ी हुई हैं और नीति के अनुसार, एक स्वतंत्र निदेशक/नामित निदेशक सहित पूर्णकालिक निदेशक के अलावा किसी अन्य निदेशक को इरादतन चूककर्ता नहीं माना जाएगा।

इसके अलावा, जारी की गई एससीएन के अनुसार 01 अप्रैल 2015 से नवंबर 2017 तक की अवधि से संबंधित निधियों के डायवर्जन और साइफनिंग के आरोप और उन्होंने 2015 में अपना इस्तीफा दे दिया था और उपरोक्त समिति के मद्देनजर वीनू जैन (पूर्व निदेशक) के खिलाफ निधियों के डायवर्जन और साइफनिंग के आरोपों को छोड़ने की राय थी।

इसलिए, रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों पर विचार करने के बाद समिति ने पाया कि कर्जदार और उसके संबंधित पक्षों ने बैंक को भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों में चूक की और चूक की घटनाओं में शामिल थे, आरबीआई के उपर्युक्त मास्टर निर्देशों में निर्दिष्ट निम्नलिखित आधारों पर उन्हें इरादतन चूककर्ता के रूप में पहचाना जाना उपयुक्त हैः

निधियों का डाइवर्जन

ग्रांट थॉर्नटन इंडिया एलएलपी द्वारा किए गए फोरेंसिक ऑडिट में कंपनी और उसके प्रमोटरों/निदेशकों द्वारा कई प्रतिकूल वित्तीय प्रथाओं की पहचान की गई। महत्वपूर्ण निष्कर्षों में से एक मार्च 2017 में निष्पादित एक अधिमान्य लेनदेन शामिल था। इसमें मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसकी संबंधित संस्थाओं के बीच 9.57 करोड़ रुपये की देनदारियों का समायोजन शामिल था, जहां मेसर्स रत्ना प्रिया इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए कंपनी की देनदारी को एक अन्य समूह संस्था मेसर्स एनएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा प्राप्त राशि के खिलाफ ऑफसेट किया गया था। इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा मेसर्स रत्ना प्रिया इम्पेक्स को 4.03 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था। ये लेन-देन आर्म्स-लेंथ सिद्धांत का पालन नहीं करते थे और संबंधित पक्षों को अधिमान्य लाभ के लिए कंपनी के फंड को डायवर्ट करते थे, जो दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 43 का उल्लंघन था।

निधियों की साइफनिंग

इसके अलावा, पूरक फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में देनदारों की शेष राशि को बट्टे खाते में डालने के संबंध में गंभीर चिंताएँ जताई गई हैं। मार्च 2017 और अक्टूबर 2017 के बीच, एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आठ संस्थाओं से संबंधित 613.60 करोड़ रुपये की प्राप्तियों को बट्टे खाते में डाल दिया। जाँच करने पर, पता चला कि इनमें से कई संस्थाओं ने या तो लेन-देन दर्ज होने से कई साल पहले ही परिचालन बंद कर दिया था, या उनका कोई पता नहीं चल पाया था। इसके अतिरिक्त, फॉर्म-एफ और वैट पावती जैसे प्रमुख दस्तावेज या तो जाली पाए गए या फिर मौजूद ही नहीं थे। यह निधि की साइफनिंग करने और वास्तविक प्राप्तियों को बहीखातों से मिटाने के लिए इरादतन रिकॉर्ड गढ़ने की ओर इशारा करता है, जो धोखाधड़ी के इरादे को दर्शाता है।

इरादतन ऋण न चुकाने वालों की पहचान के लिए समिति का आदेशः

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप गठित पहचान समिति-2 ने समग्र तथ्यों पर समुचित विचार-विमर्श और उपरोक्त चर्चा के बाद, दिनांक 08.07.2025 की बैठक में उनके अभ्यावेदन पर विचार-विमर्श के दौरान पाए गए कारणों से **श्रीमती सुमन जैन (निदेशक), श्री संजय कुमार टिक्कू (निदेशक) और सुश्री वीनू जानी (निदेशक)** का नाम हटाने का निर्देश दिया। समिति ने यह भी पाया कि शेष पक्ष अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का खंडन करने में विफल रहे। इसलिए, समिति ने निम्नलिखित व्यक्तियों की पहचान इरादतन ऋण न चुकाने वालों के रूप में करने का निर्देश दियाः

क्र.सं.	नाम	पद/स्थिति	प्रभार/लेवल्ड
1	मेसर्स एनसीएमएल इंडस्ट्रीज लिमिटेड	उधारकर्ता	निधियों का डाइवर्जन/निधियों की साइफनिंग
2	श्री मोहन लाल जैन	निदेशक	
3	श्री मनीष जैन	प्रबंध निदेशक	
4	सुश्री चंद्रावती	निदेशक	
5	श्री शिव कुमार कालरा जैन	निदेशक	

समिति ने तदनुसार आदेश जारी करने और कर्जदार तथा उसके संबंधित पक्षों को इसकी तामील करने का निर्देश दिया।

तथापि, समिति ने निर्देश दिया कि उपर्युक्त नामित व्यक्ति पहचान समिति के आदेश के विरुद्ध, इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों की अवधि के भीतर, बैंक के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति-2 को निम्नलिखित पते पर लिखित अभ्यावेदन देने के लिए स्वतंत्र हैंः पंजाब नेशनल बैंक, एसएएम प्रभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय, तीसरी मंजिल, प्लॉट संख्या 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, पिनः 110075. यह भी सूचित किया जाता है कि अंतिम घोषणा से पहले बैंक के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता वाली समीक्षा समिति द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा।

आरबीआई के निर्देशों के अनुरूप गठित पहचान समिति-II में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैंः

i. मुख्य महाप्रबंधक, एसएएमडी (समिति प्रमुख)
ii. महाप्रबंधक, सीआरएमडी, मुख्यालय
iii. उप महाप्रबंधक, एफआरएमडी मुख्यालय और
iv. सहायक महाप्रबंधक, विधि प्रभाग मुख्यालय (आमंत्रित)

पहचान समिति-2 ने अधोहस्ताक्षरी को इरादतन चूककर्ताओं की पहचान हेतु समिति का यह आदेश अपने हस्ताक्षर से भेजने के लिए अधिकृत किया है।
(नीरू सालदी)
सहायक महाप्रबंधक (विधि)

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

शाखाः हलवाई चौक बदायूँ

कब्जा सूचना
(चल/अचल प्रतिभूति के लिए)

परिशिष्ट IV (नियम 8(1)) के अनुसार वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण (प्रवर्तन) अधिनियम 2002 के अन्तर्गत

सिक्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 के नियम 3 के नियमानुसार तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट "एनफोर्समेंट" नियम 2002 (2002 का अधिनियम संख्या 54) के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी / गारन्टरों और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी प्रतिभूति का कब्जा ले लिया है। ऋणी / गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न प्रतिभूति के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन–देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन **बैंक ऑफ बड़ौदा हलवाई चौक बदायूँ शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। (**कर्जदार का ध्यान, प्रत्यभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है**)

क्र. सं.	ऋणी / गारन्टर के नाम	प्रतिभूतियों का विवरण	मांग नोटिस की तारीख / कब्जा नोटिस की तारीख	बकाया राशि
1.	1. मैसर्स जनता टिम्बर (द्वारा इसके पार्टनर), रजिस्टर्ड पताः मौहल्ला पनवाड़ी मुस्ताफ गंज, जिला- बदायूं, उत्तर प्रदेश- 243601, **2.** नितिश शर्मा पुत्र स्व. अशोक कुमार शर्मा (**पार्टनर/गारन्टर/बंधककर्ता**), निवासी ए-800 जीडी कॉलोनी मयूर विहार, फेस-3, वसुधरा एन्कलेव पूर्वी दिल्ली-110096, **3.** अनुराधा शर्मा पत्नी स्व. श्री अशोक कुमार शर्मा, (**पार्टनर/गारन्टर/बंधककर्ता**), निवासी मकान नं. 190 नियर पंजाबी मन्दिर सैयद बाड़ा, जिला- बदायूं उत्तर प्रदेश- 243601, **4.** नेहा शर्मा पुत्री स्व. अशोक कुमार शर्मा, (**पार्टनर/गारन्टर/बंधककर्ता**), निवासी मकान नं. 190 नियर पंजाबी मन्दिर सैयद बाड़ा, जिला- बदायूं उत्तर प्रदेश- 243601, **5.** विनोद कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री कस्तूरी लाल शर्मा (**गारन्टर/बंधककर्ता**), निवासी मकान नं. 190 नियर पंजाबी मन्दिर सैयद बाड़ा, जिला- बदायूं उत्तर प्रदेश- 243601, **6.** रेखा शर्मा पत्नी विनोद कुमार शर्मा (**गारन्टर/बंधककर्ता**), निवासी मकान नं. 190 नियर पंजाबी मन्दिर सैयद बाड़ा, जिला- बदायूं उत्तर प्रदेश- 243601	**सम्पत्ति नं. 1.** बंधक सम्पत्ति के सभी भाग और भूखण्ड जिसका माप 108.69 वर्गमीटर स्थित मौहल्ला शेख पट्टी, तहसील और जिला- बदायूं -243601 सम्पत्ति स्वामी श्री अशोक कुमार शर्मा पुत्र कस्तूरी लाल (बंधककर्ता कानूनी उत्तराधिकारी श्री अशोक कुमार शर्मा) और विनोद कुमार शर्मा पुत्र कस्तूरी लाल, जिला- बदायूं रजिस्टर्ड बही नं.1, जिल्द 8776, पेज 367 से 402, क्रमांक नं. 2530 दिनांक 23.03.2015 में पंजीकृत। सीमाएं निम्न प्रकार है पूर्व- श्रीमती अनुराधा शर्मा की कोठी, पश्चिम- 10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- सरकारी सड़क, दक्षिण- सरदार गुरदीप सिंह का मकान। **सम्पत्ति नं. 2-** बंधक सम्पत्ति के सभी भाग और भूखण्ड जिसका माप 103.68 वर्गमीटर स्थित मौहल्ला शेख पट्टी, तहसील और जिला- बदायूं -243601 सम्पत्ति स्वामी अनुराधा शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार शर्मा, रेखा शर्मा पत्नी विनोद कुमार शर्मा जिला- बदायूं रजिस्टर्ड बही नं.1, जिल्द 8776, पेज 335 से 366, क्रमांक नं. 2529 दिनांक 25.03.2015 में पंजीकृत। सीमाएं निम्न प्रकार है पूर्व- विनय वैश्य की सम्पत्ति, पश्चिम -10 फीट चौड़ा रास्ता, उत्तर- सरकारी सड़क, दक्षिण- सरदारगुरदीप सिंह की सम्पत्ति।	03.03.2025 / 05.08.2025	रु0 **36,46,523.71** दिनांक 03.03.2025 (ब्याज सहित दिनांक 03.03.2025) + प्रभावी ब्याज दिनांक 04.03.2025 प्रभावी ब्याज एवं अन्य खर्चे

दिनांकः 07.08.2025 स्थान– बदायूँ प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

---

talbros

टैलब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड

सीआईएनः L29199HR1956PLC033107
पंजीकृत कार्यालयः 14/1, दिल्ली मथुरा रोड, फरीदाबाद–121003 (हरियाणा)
फोन नं: 0129-4960482, **वेबसाइटः** www.talbros.com, **ई–मेलः** seema_narang@talbros.com

30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ लाख में)

विवरण	समेकित				एकल			
	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30-जून-25	31-मार्च-25	30-जून-24	31-मार्च-25	30-जून-25	31-मार्च-25	30-जून-24	31-मार्च-25
	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित (नोट 2 देखें)	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित (नोट 2 देखें)	अन-अंकेक्षित	अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय	21,054.41	21,093.72	20,923.62	84,473.03	21,054.41	21,093.72	20,923.62	84,590.83
अपवादात्मक मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि)	2,794.11	3,359.89	2,641.77	11,943.29	2,394.26	2,826.97	2,337.26	10,287.27
अपवादात्मक मदें	–	–	–	–	–	–	–	–
कर पूर्व लाभ/(हानि)	2,794.11	3,359.89	2,641.77	11,943.29	2,394.26	2,826.97	2,337.26	10,287.27
कर पश्चात् निवल लाभ/(हानि)	2,219.64	2,658.10	2,061.47	9,443.27	1,819.79	2,125.18	1,756.96	7,787.25
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (कर पश्चात् लाभ/(हानि) और कर पश्चात् अन्य व्यापक आय शामिल)	3,417.71	2,231.97	4,029.54	9,977.75	3,017.14	1,693.26	3,725.93	8,318.83
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹ 2/- प्रत्येक)	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56	1,234.56
प्रति शेयर आय (₹ 2/- प्रत्येक) (अवधि के लिए – गैर वार्षिकीकृत)								
मूल (₹)	3.60	4.31	3.34	15.30	2.95	3.44	2.85	12.62
तनुकृत (₹)	3.60	4.31	3.34	15.30	2.95	3.44	2.85	12.62

टिप्पणियाँः–

1. उपरोक्त, सेबी (सूचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटन आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेंजों में दाखिल तिमाही और वार्षिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वैबसाइटों (www.bseindia.com एवं www.nseindia.com) और कम्पनी की वैबसाइट www.talbros.com पर भी उपलब्ध हैं।
2. 30 जून, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए इन एकल और समेकित वित्तीय परिणामों की समीक्षा की गई और ऑडिट समिति द्वारा अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई और तद्नुसार 07 अगस्त, 2025 को आयोजित उनकी संबंधित बैठकों में टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड ("कंपनी") के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। 31 मार्च 2025 को समाप्त तिमाही के आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकड़ों और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही तक प्रकाशित वर्ष–दर–वर्ष के आंकड़ों के बीच संतुलन के आंकड़े हैं, जो सीमित समीक्षा के अधीन थे। 30 जून 2025 को समाप्त तिमाही के वित्तीय परिणामों की कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा "सीमित समीक्षा" की गई है। श्री अनुज तलवार, संयुक्त प्रबंध निदेशक को स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय परिणामों पर हस्ताक्षर करने के लिए बोर्ड द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है।

कृते टैलब्रोस ऑटोमोटिव कम्पोनेंट्स लिमिटेड
हस्ता/–
अनुज तलवार
संयुक्त प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 00628063

दिनांक : अगस्त 07, 2025
स्थान : गुरुग्राम

SANDHAR
Growth. Motivation. Better Life

Fostering Innovation and Growth

*Including other comprehensive income

EXTRACT OF CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30 JUNE 2025

(₹ in lakhs, except earning per share)

Sl. No.	Particulars	Consolidated			Standalone		
		Quarter ended		Year ended	Quarter ended		Year ended
		30 June 2025	30 June 2024	31 March 2025	30 June 2025	30 June 2024	31 March 2025
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Revenue from Operations	109,008.84	91,256.69	388,450.22	72,812.12	67,410.66	291,303.56
2	Net Profit for the period (before tax, exceptional item and share of profit in joint ventures)	3,442.20	3,528.76	17,257.79	3,455.74	3,388.19	18,309.95
3	Net Profit for the period (before tax after exceptional item and share of profit in joint ventures)	3,631.38	3,713.79	18,459.36	3,455.74	3,388.19	18,614.28
4	Net Profit for the period (after tax, exceptional item and share of profit in joint ventures)	2,801.26	2,906.29	14,164.24	2,540.23	2,466.89	13,962.71
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the Period after Tax and Other Comprehensive Income/(Loss) after Tax)	3,308.41	2,851.00	14,227.13	2,666.81	2,448.92	13,847.64
6	Equity Share Capital	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07	6,019.07
7	Total Reserves	-	-	107,911.05	-	-	108,636.24
8	Earnings Per Share (Face value of ₹10/- per share) (not annualised for quarter)						
	1. Basic:	4.65	4.83	23.53	4.22	4.10	23.20
	2. Diluted:	4.65	4.83	23.53	4.22	4.10	23.20

Note:

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter ended 30 June 2025 of Consolidated and Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarter ended Financial Results are available on the websites of the BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, and on Company's website at www.sandhargroup.com.

For **Sandhar Technologies Limited**
JAYANT DAVAR
Chairman, Managing Director and Chief Executive Officer
DIN: 00100801

Place: Gurugram (Haryana)
Date: 7 August 2025

SANDHAR TECHNOLOGIES LIMITED
CIN: L74999DL1987PLC029553
Regd. Office: B - 6/20, L.S.C. Safdarjung Enclave, New Delhi 110029
Tel.: 0124 - 4518900, **E-mail:** investors@sandhar.in, **Website:** www.sandhargroup.com